



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मुख्य प्रबंधक, मेसर्स पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़, धरमजयगढ़ एवं कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत कुल आरक्षित वन 79.194 हे., संरक्षित वन 28.185 हे. नारंगी वन 14.773 हे. एवं राजस्व वन भूमि 31.296 हे.; कुल 153.448 हे. वन, नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव, वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। वन भूमि, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन भूमि (हे. में)	संरक्षित वन भूमि (हे. में)	नारंगी वन भूमि (हे. में)	राजस्व वन भूमि (हे. में)	कुल वन भूमि (हे. में)
1	रायगढ़	56.414	22.043	8.542	6.164	93.163
2	धरमजयगढ़	22.780	0.340	-	10.586	33.706
3	कोरबा	-	5.802	6.231	14.546	26.579
	योग	79.194	28.185	14.773	31.296	153.448

उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार वन भूमि / नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 5/07/2016

स्थान: रायपुर

(बी.एल. सरन) 12/1/16
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़, रायपुर